

21/10/22

पत्रावली पेश हुई। कमील प्राचीया उपस्थित।
प्राचीया द्वारा प्रस्तुत प्राचीना पत्र के सम्बन्ध में
सिपही भूमिधारी तहसीलदार डूंगला का जवाब
प्राप्त हुआ जिसको शाहिल पत्रावली लिया गया
तहसीलदार डूंगला ने जवाब प्रस्तुत कर सवगत
क्या कि आम नंगवली के खाता सं. ५५५ में नकल
जमाबंदीसंवत् २०१३-१६ में 'वर्णित आराजी नम्बर
३१९१/१८५५ रकबा ०.२१६८ हे. भूमि लगान ०.४४ के
प्राचीया के नाम खातेदारी एक से दफा देकाइ (१)
प्राचीया के नाम नकल जमाबंदी में 'दफा रकबा
के मुकाबले नक्शा में रकबा बराबरी करने पर
रकबा ०.१९३० हे ही आता है जबकि जमाबंदी में
दफा रकबा के मुकाबले ०.०२३४ हे भूमि नक्शे में

AR

उपखण्ड अधिकारी
→ डूंगला



कम तस्मीम हैं। जमाबंदी में र्ग रकबा के अनुसार
 माविज वेनेवे र्ग का सिदीशक नंगावली, पत्रासी हलक
 नंगावली की रिपोर्ट के अनुसार गौला की रिपोर्ट के
 अनुसार दक्षिण की तरफ डेढ़ गठना चौड़ाई में बढ़ाई
 जाकर नवरो में तस्मीम शुरू किया जाना तस्लीलदार
 इंगला द्वारा सन्तानित किया गया है। इस पर
 वकील प्रवीणा की बहस जो सुना गया। वकील प्रवीणा
 ने बहस में जयल किया गया कि तस्लीलदार इंगला से
 प्राप्त रिपोर्ट एवं नवीन सन्तानित नक्शा इस के अनुसार
 प्रवीणा की रवातेदी आसगी के दक्षिण की तरफ डेढ़ गठना
 चौड़ाई में बढ़ाया जाने है जमाबंदी में र्ग रकबा
 पुरा हो जाता है। इसी अनुसार नक्शा इस में शुरू होने
 का अद्विज जारी किया जाने। इस पर प्रवीणा द्वारा
 प्रमुख प्रवीणा पत्र, तस्लीलदार इंगला से प्राप्त रिपोर्ट
 व राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण
 किया गया बाद जॉय परीक्षण प्रवीणा का प्रवीणा
 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एच. आर. एक्ट के तहत
 सही पाया जाने से राजस्व नवरो में तस्मीम शुरू
 किया जाना अन्यायिक वेकल उचित है। अतः
 प्रवीणा का प्रवीणा पत्र अन्तर्गत धारा 136
 एच. आर. एक्ट का खीकार किया जाता है।
 मैजिस्ट्रेट प्रमुख से लिखा जाकर शांति पत्रावली
 किया गया। रिपोर्ट की छवि पालतार्क एवं
 आवश्यक कार्यवाही हेतु तस्लीलदार इंगला को
 भेजी जाने। पत्रावली केसल सुमार वेकल नक्शा
 से कम है।

उपखण्ड अधिकारी

इंगला